

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-152
ANSWERED ON-16/03/2022

FATAL ROAD ACCIDENTS ON HIGHWAYS

*152. DR. KIRODI LAL MEENA:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) the details of the number of road accidents during the last three years, year-wise including the current year and the State-wise number of the persons injured/died in the said accidents till date in the country;
- (b) the reasons for the increasing number of such accidents in the country;
- (c) whether Government has taken any measures to prevent road accidents, especially the accidents taking place on highways, and if so, the details thereof; and
- (d) the details of the compensation paid by Government to the victims of road accidents during the said period?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 152 ANSWERED ON 16.03.2022 ASKED BY DR. KIRODI
LAL MEENA REGARDING **FATAL ROAD ACCIDENTS ON HIGHWAYS**

(a) & (b) As per data available, the total number of road accidents, persons killed and injured in the country during the last three calendar years 2018 to 2020 are given in the following table:-

Year	Total Number of Road Accidents	% Increase/ Decrease	Total Number of Persons Killed	% Increase/ Decrease	Total Number of Persons Injured	% Increase/ Decrease
2018	467044		151417		469418	
2019	449002	-3.86	151113	-0.2	451361	-3.85
2020	366138	-18.46	131714	-12.84	348279	-22.84

As may be seen from the above table, there is a decreasing trend in the number of road accidents, persons killed and injured during the last 3 years.

Also, as per data available, State/UT – wise information on total number of road accidents, persons killed and injured on all roads in the country during the last three calendar years 2018 to 2020 is enclosed at Annexure I.

(c) The Ministry has formulated a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on Education, Engineering (both of roads and vehicles), Enforcement and Emergency Care. Accordingly, various initiatives have been taken by the Ministry as detailed below:-

i. Education:

- To create effective public awareness about road safety, Ministry undertakes various publicity measures and awareness campaigns on road safety through social media, electronic media, and print media. Further, Ministry implements a road safety advocacy scheme to provide financial assistance to various agencies for administering Road Safety Advocacy.
- Observance of National Road Safety Month/Week every year for spreading awareness and strengthening road safety.
- A Certification Course for Road Safety Auditors has been commenced in Indian Academy of Highway Engineers (IAHE).

ii. Engineering (both of Roads and vehicles)

- Road engineering:
 - High priority to identification and rectification of black spots (accident prone spots) on national highways.
 - Road safety has been made an integral part of road design at planning stage. Road Safety Audit of all highway projects has been made mandatory at all stages i.e. design, construction, operation and maintenance.
 - Ministry has delegated powers to Regional Officers for technical approval to the detailed estimates for rectification of identified Road Accident black spots.
 - Guidelines for pedestrian facilities on National Highways for persons with disabilities have also been issued to all States / UTs.

- e. The electronic Detailed Accident Report (e-DAR) Project has been initiated to establish a central repository for reporting, management and analysis of road accidents data across the India.
 - Vehicle engineering:
 - a. Safety standards for automobiles have been improved in respect of Airbags, Anti-Breaking System (ABS), Tyres, Crash test, Speed Limiting devices, comply with fire Alarm and protection system etc.
 - b. Scheme for setting up one model Inspection & Certification Centre in each State/UT with Central assistance for testing the fitness of vehicles through an automated system.
 - c. This Ministry, vide notification dated 15th February, 2022 has prescribed norms related to safety measures for children below four years of age, riding or being carried on a motor cycle. Further, it specifies use of a safety harness, crash helmet and restricts speed to 40kmph.
 - iii. Enforcement:
 - a. The motor vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for strict penalties for ensuring strict compliance and enhancing deterrence for violation of traffic rules and strict enforcement through use of technology.
 - b. Issue of Guidelines for protection of Good Samaritans and draft rules as per MV (Amendment) Act, 2019 has been published.
 - iv. Emergency care:
 - a. The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for a scheme for the cashless treatment of victims of the accident during the golden hour.
 - b. The National Highways Authority of India has made provisions for ambulances with paramedical staff/Emergency Medical Technician/Nurse at toll plazas on the completed corridor of National Highways.
 - c. Ministry has implemented a Scheme for grant of Award to the Good Samaritan who has saved life of a victim of a fatal accident involving a motor vehicle by administering immediate assistance and rushing to Hospital/Trauma Care Centre within the Golden Hour of the accident to provide medical treatment.
- (d) Enabling provisions relating to payment of compensation to victims of road accidents have been given in the Motor Vehicles Act, 1988 under section 161 (Special provisions as to compensation in case of hit and run motor accident), section 163 (Scheme for payment of compensation in case of hit and run motor accidents) and section 163A (Special provisions as to payment of compensation on structured formula basis). Further, Ministry has issued notification dated 25 Feb 2022 mandating the procedure for detailed investigation of road accidents, the Detailed Accident Report (DAR) and its reporting, along with timelines for different stakeholders, for quick settlements of claims by the Motor Accident Claim Tribunal (MACT). Claims are filed at Motor Accident Claims Tribunals at State Level. No centralized details with respect to compensation paid and number of victims pending for compensation is available with the Ministry.

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 152 TO BE ANSWERED ON 16TH MARCH, 2022 ASKED BY DR. KIRODI LAL MEENA REGARDING FATAL ROAD ACCIDENTS ON HIGHWAYS.

Total Number of road accidents, persons Killed and injured in Road Accidents in India: 2018 to 2020
State/UT – wise.

Sl. No.	States/UTs	State/UT-Wise Number of Accidents during			State/UT-Wise Total Number of Persons killed in Road Accidents during			State/UT-Wise Total Number of Persons Injured in Road Accidents during		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Andhra Pradesh	24475	21992	19509	7556	7984	7039	23456	24619	19675
2	Arunachal Pradesh	277	237	134	175	127	73	323	309	185
3	Assam	8248	8350	6595	2966	3208	2629	7375	7473	5269
4	Bihar	9600	10007	8639	6729	7205	6699	6679	7206	7016
5	Chhattisgarh	13864	13899	11656	4592	5003	4606	12715	13090	10505
6	Goa	3709	3440	2375	262	297	223	1549	1448	880
7	Gujarat	18769	17046	13398	7996	7390	6170	17467	16258	12002
8	Haryana	11238	10944	9431	5118	5057	4507	10020	9362	7659
9	Himachal Pradesh	3110	2873	2239	1208	1146	893	5551	4904	3223
10	Jammu & Kashmir	5978	5796	4860	984	996	728	7845	7532	5894
11	Jharkhand	5394	5217	4405	3542	3801	3044	3975	3818	3295
12	Karnataka	41707	40658	34178	10990	10958	9760	51562	50447	39492
13	Kerala	40181	41111	27877	4303	4440	2979	45458	46055	30510
14	Madhya Pradesh	51397	50669	45266	10706	11249	11141	54662	52816	46456
15	Maharashtra	35717	32925	24971	13261	12788	11569	31365	28628	19914
16	Manipur	601	672	432	134	156	127	1042	1055	663
17	Meghalaya	399	482	214	182	179	144	205	222	220
18	Mizoram	53	62	53	45	48	42	80	56	68
19	Nagaland	430	358	500	39	26	53	335	246	286
20	Odisha	11262	11064	9817	5315	5333	4738	11794	11177	8822
21	Punjab	6428	6348	5203	4740	4525	3898	3384	3812	2904
22	Rajasthan	21743	23480	19114	10320	10563	9250	21547	22979	16769
23	Sikkim	180	162	138	85	73	47	370	318	218
24	Tamil Nadu	63920	57228	45484	12216	10525	8059	74537	67137	50551
25	Telangana	22230	21570	19172	6603	6964	6882	23613	21999	18661
26	Tripura	552	655	466	213	239	192	741	816	470
27	Uttarakhand	1468	1352	1041	1047	867	674	1571	1457	854
28	Uttar Pradesh	42568	42572	34243	22256	22655	19149	29664	28932	22410
29	West Bengal	12705	10158	9180	5711	5500	4927	11997	9757	8314
30	Andaman & Nicobar	254	230	141	19	20	14	260	207	145
31	Chandigarh	316	305	159	98	104	53	300	275	148
32	Dadra & Nagar Haveli	80	68	100	54	49	64	66	105	119
33	Daman & Diu	76	69		35	28		94	74	
34	Delhi	6515	5610	4178	1690	1463	1196	6086	5152	3662
35	Lakshadweep	3	1	1	1	0	0	3	1	1
36	Puducherry	1597	1392	969	226	147	145	1727	1619	1019
	Total	467044	449002	366138	151417	151113	131714	469418	451361	348279

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *152
जिसका उत्तर 16.03.2022 को दिया जाना है
राजमार्गों पर घातक सड़क दुर्घटनाएं

*152. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तथा इन दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों की संख्या का आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों को सरकार द्वारा कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

‘राजमार्गों पर घातक सड़क दुर्घटनाएं’ के संबंध में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन कैलेंडर वर्ष 2018 से 2020 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है: -

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	% बढ़ोतरी/कमी	मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या	% बढ़ोतरी/कमी	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या	% बढ़ोतरी/कमी
2018	467044		151417		469418	
2019	449002	-3.86	151113	-0.2	451361	-3.85
2020	366138	-18.46	131714	-12.84	348279	-22.84

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले 3 वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए और घायल व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है।

साथ ही, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन कैलेंडर वर्षों 2018 से 2020 के दौरान देश में सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी अनुबंध I में दी गई है।

(ग) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा निम्नांकित विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) शिक्षा:

क. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विभिन्न प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान चलाया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सड़क सुरक्षा प्रतिपालन योजना लागू की है।

ख. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।

ग. भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएचई) में सड़क सुरक्षा ऑडिटर्स के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

(ii) इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों)

• सड़क इंजीनियरिंग

क. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।

- ख. सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं का सड़क सुरक्षा ऑडिट सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ग. मंत्रालय ने चिह्नित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।
- घ. दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।
- ङ. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।

• **वाहन इंजीनियरिंग:**

- क. एयरबैग, एंटी-ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), टायर, क्रैश टेस्ट, गति नियंत्रक उपकरण, फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणाली के अनुपालन के संबंध में ऑटोमोबाइल के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है।
- ख. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना की स्कीम।
- ग. इस मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटर साइकिल पर सवारी करने या ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है।

(iii) प्रवर्तन

- क. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए निवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।
- ख. गुड समरिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं।

(iv) आपातकालीन देखभाल:

- क. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में गोल्डर आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ित का नकदीरहित उपचार की एक स्कीम का प्रावधान किया गया है।
- ख. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।
- ग. मंत्रालय ने ऐसे गुड समरिटन को पुरस्कार प्रदान करने की योजना शुरू की है, जिसने मोटर वाहन से किसी घातक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल / ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाई है।

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 (हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के रूप में विशेष प्रावधान), धारा 163 (हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे का भुगतान के लिए योजना) और धारा 163क (संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के रूप में विशेष प्रावधान) के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को सक्षम बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचना जारी कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच के लिए प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। राज्य स्तर पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावे दायर किए जाते हैं। मंत्रालय के पास भुगतान किए गए मुआवजे और मुआवजे के लिए लंबित पीड़ितों की संख्या के संबंध में कोई केंद्रीकृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध I

‘राजमार्गों पर घातक सड़क दुर्घटनाएं’ के संबंध में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2018 से 2020 तक: भारत में सड़क दुर्घटनाओं, उनमें मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या			सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या			सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	24475	21992	19509	7556	7984	7039	23456	24619	19675
2	अरुणाचल प्रदेश	277	237	134	175	127	73	323	309	185
3	असम	8248	8350	6595	2966	3208	2629	7375	7473	5269
4	बिहार	9600	10007	8639	6729	7205	6699	6679	7206	7016
5	छत्तीसगढ़	13864	13899	11656	4592	5003	4606	12715	13090	10505
6	गोवा	3709	3440	2375	262	297	223	1549	1448	880
7	गुजरात	18769	17046	13398	7996	7390	6170	17467	16258	12002
8	हरियाणा	11238	10944	9431	5118	5057	4507	10020	9362	7659
9	हिमाचल प्रदेश	3110	2873	2239	1208	1146	893	5551	4904	3223
10	जम्मू और कश्मीर	5978	5796	4860	984	996	728	7845	7532	5894
11	झारखंड	5394	5217	4405	3542	3801	3044	3975	3818	3295
12	कर्नाटक	41707	40658	34178	10990	10958	9760	51562	50447	39492
13	केरल	40181	41111	27877	4303	4440	2979	45458	46055	30510
14	मध्य प्रदेश	51397	50669	45266	10706	11249	11141	54662	52816	46456
15	महाराष्ट्र	35717	32925	24971	13261	12788	11569	31365	28628	19914
16	मणिपुर	601	672	432	134	156	127	1042	1055	663
17	मेघालय	399	482	214	182	179	144	205	222	220
18	मिजोरम	53	62	53	45	48	42	80	56	68
19	नगालैंड	430	358	500	39	26	53	335	246	286
20	ओड़ीसा	11262	11064	9817	5315	5333	4738	11794	11177	8822
21	पंजाब	6428	6348	5203	4740	4525	3898	3384	3812	2904
22	राजस्थान	21743	23480	19114	10320	10563	9250	21547	22979	16769
23	सिक्किम	180	162	138	85	73	47	370	318	218
24	तमिलनाडु	63920	57228	45484	12216	10525	8059	74537	67137	50551
25	तेलंगाना	22230	21570	19172	6603	6964	6882	23613	21999	18661
26	त्रिपुरा	552	655	466	213	239	192	741	816	470
27	उत्तराखंड	1468	1352	1041	1047	867	674	1571	1457	854
28	उत्तर प्रदेश	42568	42572	34243	22256	22655	19149	29664	28932	22410
29	पश्चिम बंगाल	12705	10158	9180	5711	5500	4927	11997	9757	8314

30	अंडमान और निकोबार	254	230	141	19	20	14	260	207	145
31	चंडीगढ़	316	305	159	98	104	53	300	275	148
32	दादरा और नगर हवेली	80	68	100	54	49	64	66	105	119
33	दमन और दीव	76	69		35	28		94	74	
34	दिल्ली	6515	5610	4178	1690	1463	1196	6086	5152	3662
35	लक्षद्वीप	3	1	1	1	0	0	3	1	1
36	पुदुचेरी	1597	1392	969	226	147	145	1727	1619	1019
	कुल	467044	449002	366138	151417	151113	131714	469418	451361	348279

DR. KIRODI LAL MEENA: How many black spots have been identified on National Highways maintained by NHAI across the country and how many black spots have been rectified till now? What is the target to rectify the black spots during 2022-23?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ बार-बार एक्सिडेन्ट्स होते हैं, उस पार्ट को चिन्हित करके ब्लैक स्पॉट कहते हैं। एनएचएआई के राष्ट्रीय महामार्गों पर ऐसे करीब पौने चार हजार ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और इस लिस्ट में लगातार ऐडिशन भी होता है। इसे तुरंत सुधारने के संबंध में आदेश दिए गए हैं, पर बाद में यह ध्यान में आया कि जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनके बारे में जो हमारे आरओ हैं, जो एनएचएआई के regional officers हैं और स्टेट में जो मिनिस्ट्री एनएचएआई का काम करती है, जो उनके भी आरओ हैं, उन्हें हमने इस प्रकार का अधिकार दिया है कि अगर कहीं पर दो बार से ज्यादा एक्सिडेन्ट्स होते हैं, तो वे उसे ब्लैक स्पॉट निर्धारित करके तुरंत कार्रवाई करें और उसे इम्पूव करें। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, उनका अधिकार भी 50 करोड़ तक बढ़ाया गया है और अब उन्हें किसी भी प्रकार के proposal को यहाँ हेड ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से एक्सिडेन्ट्स का प्रमाण कम हो।

दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो notified accidental spots थे, वे एनएचएआई में 4,002 थे, एनएचआईडीसीएल में 52 थे, एमओआरटीएच रोड विंग में 1,750 थे। अब इनकी टोटल संख्या 5,803 हो गई है, जिनमें हमने short-term measure में 2,008 एक्शन लिए हैं, long-term measure में 3,329 एक्शन लिए गए हैं। इसके साथ ही, जहाँ एक्शन नहीं लिए गए हैं, ऐसी भी करीब 340 जगहें बाकी हैं। इसके बाद एक और निर्णय लिया गया है। मैं सम्माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करूँगा कि हमने इनकी अध्यक्षता में एक अपघात निवारण कमिटी भी appoint की है, जिसके सदस्य कलेक्टर भी हैं। तो अगर आपको कहीं पर यह ध्यान में आता है कि यहाँ दो से ज्यादा एक्सिडेन्ट्स हुए हैं, तो आप तुरंत उसका reference हमारे आरओ को दीजिए, हम उसे तुरंत rectify करेंगे। इसके साथ-साथ, यह काफी डीपीआर defective है। अब धीरे-धीरे अनुभव के साथ मेरा यह मत बना है कि रोड इंजीनियरिंग ही एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक्सिडेन्ट्स का कारण है, इसलिए स्वाभाविक रूप से, टेक्निकली और साइंटिफिकली ऐसे डीपीआर बनने चाहिए कि उनमें एक्सिडेन्ट्स न हों। इसके बारे में डीपीआर की जो पॉलिसी है, उसमें सुधार कर international successful practices का अंतर्भाव करते हुए एक्सिडेन्ट्स की दृष्टि से कि रोड्स पर एक्सिडेन्ट्स न हों, इस प्रकार की बात को ध्यान में रखकर आगे काम किया जाएगा।

DR. KIRODI LAL MEENA: Sir, according to a World Bank's Report, India has one per cent of world's vehicles but it amounts to 10 per cent of all road crash victims. How will the Government reduce road crash victims in India?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय उपसभापति महोदय, यह थोड़ी दुखद बात है कि इस विषय में जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में 4,67,044 एक्सिडेन्ट्स हुए, 2019 में 4,49,002 एक्सिडेन्ट्स हुए और 2020 में 3,66,138 एक्सिडेन्ट्स हुए। इसमें ऐसा हुआ है कि 2020 में 18.46 per cent as compared with 2019, इतने एक्सिडेन्ट्स कम हुए हैं और जो लोग मृत्युमुखी हुए हैं, वे 2020 की तुलना में 12.84 परसेंट कम हुए हैं। इसमें कोविड का भी समय है, इसलिए यह समाधानकारक नहीं है। इसके साथ-साथ, number of persons injured, इसमें भी 22.84 per cent decline हुआ है, as compared to 2019. इसमें दुर्भाग्य यह है कि हमें 2020 के बाद से इसका statistics ही नहीं मिलता है। हम स्टेट गवर्नमेंट में बार-बार इस बारे में जिक्र करते हैं, पर इसमें जिस गति से जानकारी मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ी अड़चन आती है, क्योंकि यह subject Concurrent List में है। सरकार इसके बारे में बहुत ही sensitive है। मुझे वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन दो दिन पहले ही मिले थे और हमने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक साढ़े सात हजार करोड़ की योजना ली है। विशेष रूप से, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से तमिलनाडु में जो कार्यक्रम implement किया है, उससे एक्सिडेन्ट्स और डेथ्स में 50 परसेंट की कमी आई है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम यही कार्यक्रम पूरे देश में चलाएंगे। यह जो सात हजार करोड़ का कार्यक्रम है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, तब हम एनएच के अलावा स्टेट्स में भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सिडेन्टल स्पॉट्स हैं, उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करेंगे।

मैं सभी सांसदों से आह्वान करूँगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सब्जेक्ट है। जितने लोग लड़ाई में नहीं मरते या कोविड में नहीं मरते, उतने हर साल, डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। We are highest in the world. इसमें हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना पड़ेगा। हमने अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी स्टेप्स लिए और economy models में भी छः एयरबैग्स mandatory कर दिए। इस संबंध में जो-जो सुधार करने चाहिए थे, वे हमने किए हैं। अभी हमने स्टार रेटिंग के बारे में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया है। इसके बाद, मुझे आपसे अनुरोध करना है कि जनता के सहयोग के बिना, लोगों को प्रशिक्षित किए बिना यह नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज़, इन सबके सहयोग से हमें इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने लोग लड़ाई में नहीं मरते, उतने हर साल एक्सिडेन्ट्स में मर रहे हैं। मरने वालों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 65 परसेंट लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी लोग सहयोग दें।

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, according to the list given, providing the details about accident cases, there are five States, including Tamil Nadu, Karnataka and Madhya Pradesh where around 50,000 accident cases are reported. It means 50,000 families have become orphans. This is the main concern that we have to show. Sir, National Highways, which are supposed to be the best in the country, there we are finding 50,000 accidents in one State. The reason for these accidents is small roads and

increased number of vehicles. The number of vehicles on the road has increased to 10 to 20 times and the roads are as it is. My point is why not the Government of India think of enlarging the connecting roads to National Highways to a good standard so that you can reduce the number of accidents.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँ, उसके पहले आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आज लगभग कई पक्षों के कुछ वरिष्ठ सदस्य माननीय चेयरमैन से मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसकी दो वजहें बताई कि आप प्रश्न पूछने में भी लम्बा समय लेते हैं और मंत्री लोग जवाब देने में भी ज्यादा समय लेते हैं। मेरा दोनों से आग्रह है कि आप कृपया संक्षिप्त सवाल पूछें और संक्षिप्त उत्तर आए, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी।

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, he is absolutely correct; we need to increase the length of National Highways. When I had taken charge as the Minister, the length of National Highways was around 96,000 kilometres, presently it is 1,47,000 kilometres. We are already making world record particularly in four places. We are expanding the old network. We are making 22 green expressways, 26 industrial corridors, connecting to ports. We are also connecting roads from the point of view of religious tourism. We are planning to develop the road infrastructure of India equivalent to the road infrastructure of U.S.A up to the year 2024. So, the things are already moving really fast.

But, I want to say that the problem is not only because of the roads, the problem is because of road engineering, it is because of automobile engineering, it is because of education and the problem of lack of awareness among the people. So, we have to create awareness in the minds of our people about road safety and that is the need of the hour. It is unfortunate for us that it is the easiest method by which you can get a driving licence in India. It seems that it is the most available thing in the world; you get the licence so easily. In foreign countries, you have to go with lot of rules and regulations, and after that you get a licence. Sir, we have taken some steps in that direction. We are making the RTO office fully digitalised. We are making training mandatory. We are making driving institutes. We are taking a lot of initiatives. These are the more important things where we need to work more. Sir, without the cooperation of the people, by and large, without the education of the people, I feel that it will be difficult. So, with the cooperation of all of you, we need to achieve that goal to, at least, save the lives of the people. We are on the path of maintaining the

roads in a good condition. The emotions that you have expressed, we are all with you, and we will try to do it.

SHRI ANIL DESAI: Sir, my question to the hon. Minister is regarding the compensation to the victims. Two aspects are important in this; one is availability of motor Accidents Claims Tribunals, which are State-wise and usually dealt with by the States and the procedure is so complicated and lengthy that it takes longer time for the victims or the next to the kin of the victims. But, there is a special provision which has been mentioned and it is Solatium Fund. Recently, a revision has been made in the solatium regarding the compensation to be paid. But it is very limited and a very meagre upward revision which is being made. My request to the Minister is whether it will be looked into or reconsidered because the compensation which is being paid to the next of the deceased needs to be substantial as the MACT claim is not certain. But whatever amount is given to the family, that will be of great use to the family of the deceased. This is what I want to know from the hon. Minister.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: We have already taken a decision, and we have increased the immediate compensation amount from Rs.12,500 to Rs.50,000 for serious injury. If death is there, we have already increased the amount from Rs.25,000 to Rs.2,00,000. If anywhere such a death is there, you can apply to Collector and within two days, you will get the compensation. That will be an immediate and important help to the family particularly when the accident has taken place.

श्री राम नाथ ठाकुर : उपसभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 18 से 45 वर्ष के 65 परसेंट नौजवानों का accident हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उनमें से बिहार में कितने लोगों का accident हुआ है और उनमें से कितने लोगों को मुआवज़ा मिला है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय उपसभापति महोदय, बिहार के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, किंतु सबसे अच्छा और सबसे worst कौन है, उन तीन स्टेट्स की कुछ जानकारीयाँ हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। आप इसको politically मत लें, अन्यथा मत लें।

महोदय, इसमें सबसे best performance State मेघालय है, जिसने 55.6 परसेंट कम किया है, चंडीगढ़ ने 47.86 परसेंट कम किया है, अरुणाचल प्रदेश ने 43.45 परसेंट कम किया है। सबसे worst condition जहाँ की है, जिन्होंने accident बढ़ाए हैं, उनमें दादरा एवं नगर हवेली में 47 परसेंट बढ़ा है और नागालैंड में 40 परसेंट बढ़ा है। निश्चित रूप से एक बात ज़रूर है कि ये

छोटी स्टेट्स हैं और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन प्रदेशों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, overall देश का ही रिकॉर्ड ठीक नहीं है। मैं जब अपनी मिनिस्ट्री की success story की बात करता हूं, तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि यह एक विषय है, जिसमें अभी भी जैसी सफलता चाहिए, वह सफलता प्रयास करने के बाद भी नहीं मिली है। जब मैं world conference में जाता हूं और जब दुनिया के लोग भाषण में बोलते हैं कि highest in the world, उसमें भारत का नाम लेते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि यह सबके सहयोग से होगा। एक तरफ हमने traffic signal लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं, लोग उसके लिए भी तकरार करते हैं कि फाइन भरना पड़ रहा है, रेट बढ़ा है। हमने आपके सहयोग से बिल पास किया है, उससे लोगों के behavior और attitude में थोड़ा-बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले कानून के प्रति सम्मान और डर नहीं था, ऐसी व्यवस्था थी, वह अब सुधर रही है। आप सबके सहयोग से सुधर कर हम लोग लोगों की जान बचाएं, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 153.